

कार्यालय निदेशक, माध्यमिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर

क्रमांक : शिविशा-मा/माध्य/अ-4/अति.संकाय/विषय/राजमावि/21327/2019-20

दिनांक : 10/7/2019

जिला शिक्षा अधिकारी
(मुख्यालय)-माध्यमिक शिक्षा
टोंक/हनुमानगढ़/सीकर/पाली।

विषय: राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालयों में अतिरिक्त ऐच्छिक विषय स्वीकृत किये जाने के संबंध में।
प्रसंग: राज्य सरकार का आदेश क्रमांक: प. 4(3) शिक्षा-1/2015 पार्ट जयपुर दिनांक 08.07.2019

उपर्युक्त विषयान्तर्गत राज्य सरकार के प्रासंगिक स्वीकृति आदेश क्रमांक : प. 4(3) शिक्षा-1/2015 पार्ट जयपुर, दिनांक 08.07.2019 की पालना में निम्नांकित सूची के अनुसार 04 राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालयों में सत्र: 2019-20 से विद्यालय के मातृ के समक्ष अंकित अतिरिक्त ऐच्छिक विषय संचालन की स्वीकृति निम्नांकित शर्तों के अधीन एतद् द्वारा प्रदान की जाती है:-

क्र. सं.	जिला	ब्लॉक	यू-डाईस कोड	विद्यालय का नाम	वर्तमान में संचालित संकाय	स्वीकृत अतिरिक्त ऐच्छिक विषय
1	टोंक	टोंक	08220228103	राजमावि, दरवार, टोंक	कला	कला संकाय में गृह विज्ञान व चित्रकला विषय
2	हनुमानगढ़	नोहर	08020208803	राजमावि बिरकाली	कला	कला संकाय में इतिहास विषय
3	सीकर	फतेहपुर	08130112402	राजमावि राजास	कला	कला संकाय में उर्दू विषय
4	पाली	रायपुर	08200202410	श्री गोविन्द राबाजमावि रायपुर	कला	कला संकाय में इतिहास व मूगोल विषय

शर्तें:-

- अतिरिक्त ऐच्छिक विषय स्वीकृति के वर्ष: 2019-20 से सुविधानुसार कक्षा 11 व 12 में विद्यार्थियों को प्रवेश दिया जा सकेगा।
- उपर्युक्त विद्यालयों में अतिरिक्त ऐच्छिक विषय संचालन के पर्याप्त पदों का पुनर्निर्धारण/आवंटन स्टाफिंग पैटर्न के प्रावधानानुसार किया जाकर पदस्थापन किया जायेगा।




(नथमल डिहल)

निदेशक

माध्यमिक शिक्षा राजस्थान
बीकानेर

प्रतिलिपि : निम्नलिखित को सूचनार्थ, पालनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :

- विशिष्ट सहायक, माननीय शिक्षा राज्यमंत्री महोदय (स्वतंत्र प्रभार), राजस्थान सरकार, जयपुर।
- निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, स्कूल शिक्षा एवं भाषा विभाग, राजस्थान, जयपुर।
- निजी सचिव, आयुक्त, राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद, जयपुर।
- निजी सचिव, विशिष्ट शासन सचिव, राजस्थान, जयपुर।
- शासन उप सचिव, शिक्षा (ग्रुप-1) विभाग, जयपुर को उनके प्रासंगिक पत्र के क्रम में।
- सचिव, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, राजस्थान, अजमेर।
- वित्तीय सलाहकार/संयुक्त निदेशक (कार्मिक)/उप निदेशक (योजना/सांख्यिकी), कार्यालय हाजा।
- संभारणीय संयुक्त निदेशक, स्कूल शिक्षा, अजमेर/बीकानेर/घरु/पाली।
- मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी एवं प्रदेन जिला परियोजना समन्वयक, समग्र शिक्षा अभियान, टोंक/हनुमानगढ़/सीकर/पाली।
- मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी एवं ब्लॉक सदर्न केन्द्र प्रभारी, समग्र शिक्षा अभियान, टोंक/नोहर/फतेहपुर/रायपुर।
- संबंधित प्रधानाचार्य, राजमावि/राबाजमावि को निर्देशों की तत्काल पालना हेतु।
- अनुभाग अधिकारी, शाला दर्पण, कार्यालय हाजा को प्रेषित कर निर्देशित किया जाता है कि संबंधित विद्यालय में अतिरिक्त ऐच्छिक विषय स्वीकृति संबंधी प्रविष्टि तत्काल शाला दर्पण पोर्टल पर करते हुये अद्यतन करें।
- अनुभाग अधिकारी, संस्थापन-सी-1,2,3,4/संस्थापन-एफ/बजट/कम्प्यूटर/आदर्श वि./बजट/ योजना/सामान्य प्रशासन अनुभाग, कार्यालय हाजा।
- माध्यमिक अनुभाग के प्रभाग अ-1 को पदों के संबंध में आवश्यक कार्यवाही हेतु।
- रक्षित पत्रावली।


उप निदेशक (माध्यमिक)
माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान
बीकानेर